

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-163/2026 दिनांक 12.06.2026)
***दिनांक-12.06.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

ई रिक्शा में छिपाकर बिहार राज्य में ले जायी जा रही 06 पेटी अवैध देशी शराब वन्टी बबली (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 1,75,000/- रुपये) के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहा अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2026 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा ई रिक्शा BR 28ER6686 से 06 पेटी अवैध देशी शराब वन्टी बबली छिपाकर बिहार राज्य में ले जा रही शराब के साथ 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 173/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 173/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विपीन पुत्र दहानी सा0 डिबीनी रामनगर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2. रवी कुमार पुत्र वुनेली सा0 डिबनी रामनगर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3. भोला प्रसाद पत्र नरेश प्रसाद सा0 डिबीनी रामनगर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण- (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 1,75,000/- रुपये)

1. 06 पेटी देशी शराब (वन्टी बबली)
2. वाहन ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन नम्बर BR 28ER6686

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना पटहेरवा कुशीनगर



2. उ०नि० श्री राम सिंह थाना पटहेरवा कुशीनगर
3. हे०का० महादेव राम थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
4. का० राजीव यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
5. रि०का० प्रतीक सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

एक पिकप वाहन से अवैध रूप से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 04 राशि गोवंश के साथ एक गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2026 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र से एक पशु तस्कर मुस्तफा पुत्र असगर ग्राम दहवा थाना धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण राज्य बिहार को गिरफ्तार कर मौके/कब्जे से एक महिन्द्रा बोलेरो मैक्स पिकप (वाहन संख्या UP22 BT4379) से क्रूरता पूर्वक बांध कर ले जायी जा रही 04 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 191/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 191/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुस्तफा पुत्र असगर ग्राम दहवा थाना धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण राज्य बिहार

अभि० मुस्तफा का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 0146/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर
2. मु०अ०सं० 0326/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर
3. मु०अ०सं०. 0025/2016 धारा 307 भादवि व 3/5ए/8 गोवध

निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना ने0नौ0 कुशीनगर

4. मु0अ0सं0. 275/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

5. मु0अ0सं0. 159/2019 धारा 3 /5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-

1-एक महिन्द्रा बोलेरो मैक्स पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या UP22 BT4379

2- चार राशि गौवंशीय पशु

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक चन्द्रभूषण प्रजापति थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 मनोज कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 अमित कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 मनीष कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
5. का0 अमित सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
6. का0 वकील कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
7. का0 बबलू कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
8. का0 दीपक यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
9. रि0का0 शुभम यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
10. रि0का0 प्रशान्त शुक्ला थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.06.2026 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा मु0नं0 11331/25 धारा 420/406 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी साबिर अली पुत्र हुकुम अली निवासी गांगीटीकर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

मु0नं0 व धारा-

मु0नं0 11331/25 धारा 420/406 भादवि(मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत)

गिरफ्तार अभियुक्त-

साबिर अली पुत्र हुकुम अली निवासी गांगीटीकर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष आलोक कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 विनायक यादव थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
3. का0 आकाश राय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
4. का0 राजेश गुप्ता थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 43 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 95 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-58, व्यक्ति-185
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-48)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

